www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 07.04.2017

सीबीआई ने एक्सिस बैंक के शाखा प्रबन्धक एवं दो कर्मियों तथा अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया और 16 स्थानों पर तलाशी ली

सीबीआई ने एक्सिस बैंक, मेमनगर शाखा, अहमदाबाद के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक एवं दो कर्मियों ; नौ अन्य प्राइवेट व्यक्तियों व अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि एक्सिस बैंक, मेमनगर शाखा, अहमदाबाद के कर्मियों ने नवम्बर-दिसम्बर, 2016 में विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान नाम मात्र की कम्पनियों के खातों में बड़े अनाधिकृत लेन-देन की अनुमति देने में अपने पद का दुरूपयोग किय। इस तरह के पुराने नोटों को कथित रूप से शाखा प्रबन्धक एवं अन्य बैंक कर्मियों की सहायता से उधार खातों के नाम पर व्यक्तियों के समूह द्वारा जमा किया गया। बैंक कर्मियों ने कथित रूप से उनके द्वारा की जाने वाली नियत कार्यवाही एवं के.वाई.सी., एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। ऐसा भी आरोप लगाया गया कि नकद सम्भालने वाले के कम से कम तीन समूहों ने एक्सिस बैंक, मेमनगर शाखा, अहमदाबाद के लगभग 25 नाम मात्र की कम्पनियों में 100.57 करोड़ रू. लगभग जमा किए।

ऐसा आगे आरोप था कि तथाकथित नाम मात्र की कम्पनियों के मालिकों के साथ ही साथ व्यक्तियों जिन्हे उक्त खातों में बड़ी धनराशि जमा करने हेतु प्रयोग किया गया था, उन व्यक्तियों का कोई मतलब नही था एवं जिनकी हैसियत ऐसी बड़ी संदेहास्पद जमा राशि की मात्रा के अनुरूप नही थी। वे 'कमीशन' के आधार पर नकदी जमा से जुड़े ऐसे अनैतिक लेने-देने के लिए खातों को 'उधार' पर देते थे। ऐसा भी आरोप था कि विमुद्रीकृत नोटों को जमा करने हेतु मिली छूट अवधि के दौरान, एक व्यक्ति के द्वारा एक ही दिन में बैंक में कई बार भारी नकद जमा किया गया। ऐसे कई उदहरणों में, बैंक कर्मियों की सलाह के अनुसार जमाकर्ताओं ने एक बार में ही 09 लाख से कम की नकद मूल्य की प्रति जमा रसीद के साथ कई जमा रसीदों को जमा कर भारी नकद जमा किया। ऐसा भी आरोप था कि 13 करोड़ रू. लगभग की नकद जमा रसीदें बैंक में उपलब्ध नही थी। संदिग्ध खातों में इस तरह की जमा की गई नकद आर.टी.जी.एस. के द्वारा बुलियन ट्रेडर एवं ज्वैलर्स के खातों में तुरन्त स्थानान्तरित कर दी गई। निर्देशानुसार, विमुद्रीकरण के दौरान, नकद जमा खाता धारक या नियत अधिकार पत्र के साथ इसके प्रतिनिधि के द्वारा ही की जा सकती थी। हालॉकि, उपरोक्त मामलों में अधिकतर भुगतान रसीदों पर खाता धारकों के हस्ताक्षर जाली थे, जो कि बैंक कर्मियों के द्वारा नजर अंदाज किए गए।

प्राइवेट व्यक्तियों ने बैंक कर्मियों के साथ सक्रिय मिलीभगत में भारत सरकार द्वारा घोषित आम माफी योजना के अनुरूप उनकी अनगिनत सम्पत्ति का खुलासा करने में असफल रहे तथा बैंकिंग चैनलों का दुरूपयोग कर काले धन को सफेद धन में बदल दिया।

आरोपी व्यक्तियों के कार्यालयी एवं आवासीय परिसरों सहित अहमदाबाद के 16 स्थानों पर आज तलाशी की जा रही है।

****